भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2179

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

†2179. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत निश्चित दिन, आश्वस्त और विशेषज्ञ के नेतृत्व में प्रसव पूर्व देखभाल किस प्रकार प्रदान की जाती है और इसके आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत क्या प्रगति हुई है तथा मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में क्या सुधार हुए हैं;
(ख) इसके आरंभ के बाद से इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रसव पूर्व चेक-अप और पहचाने गए उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर कर्नाटक में जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की शीघ्र पहचान, रेफरल और प्रबंधन के लिए इस अभियान के अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोण, जिसमें जांच की जाने वाली स्थितियों का विस्तार और विस्तारित ई-पीएमएसएमए रणनीति के तहत माता और बच्चे के स्वस्थ परिणाम तक ऐसे गर्भधारण की व्यक्तिगत ट्रैकिंग सहित ब्यौरा क्या है;
(घ) इस अभियान के अंतर्गत निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और स्वयंसेवी डॉक्टरों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ.) देश के विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इस अभियान को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को एक निश्चित दिवस पर सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान की जाती है।

- पीएमएसएमए के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को डीएच, एसडीएच, सीएचसी-एफआरयू, गैर-सीएचसी-एफआरयू तथा पीएचसी सहित नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा औषधियां, प्रयोगशाला जांच, अल्ट्रासाउंड तथा प्रसवपूर्व जांच सहित आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- निजी क्षेत्र के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों तथा सेवानिवृत्त प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 9 तारीख को नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सभी गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण के संबंध में जागरूकता सहित आहार, नींद, नियमित प्रसवपूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, तथा स्तनपान के लिए समूह परामर्श भी प्रदान किया जाता है।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), अंतर्वैयक्तिक संचार (आईपीसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के शुभारंभ के बाद से हुई प्रगति तथा मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में हुए सुधार का विवरण निम्नानुसार है:

- अभियान के प्रारंभ (वर्ष 2016) से अब तक 7.91 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सेवाएं प्रदान की गई हैं तथा 1.24 करोड़ से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान की गई है।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार, भारत की मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 130 (एसआरएस 2014-16) से घटकर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 87 (एसआरएस 2022-24) हो गई है, अर्थात इसमें 43 अंकों की कमी आई है।
- भारत में प्रथम तिमाही में प्रसवपूर्व पंजीकरण का प्रतिशत एनएफएचएस-4 (2015-16) के 58.6 प्रतिशत से बढ़कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) (2023-24) में 76.2 प्रतिशत हो गया है।
- भारत में चार अथवा उससे अधिक प्रसवपूर्व जांच प्राप्त करने वाली माताओं का प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) (2015-16) के 51.2 प्रतिशत से बढ़कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) (2023-24) में 65.2 प्रतिशत हो गया है।
- भारत में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) (2015-16) के 78.9 प्रतिशत से बढ़कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) (2023-24) में 90.6 प्रतिशत हो गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा कर्नाटक के जिला-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने अभियान के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की शीघ्र पहचान, रेफरल तथा प्रबंधन के लिए अनेक उपाय अपनाए हैं, इनमें जांच की जाने वाली अवस्थाओं का विस्तार तथा विस्तारित ई-

पीएमएसएमए कार्यनीति के अंतर्गत माता एवं शिशु के स्वस्थ परिणाम सुनिश्चित होने तक प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की व्यक्तिगत निगरानी शामिल है। प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

- पीएमएसएमए एक निश्चित दिवस आधारित कार्यनीति है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच उपलब्ध कराई जाती है।
- व्यापक प्रसवपूर्व जांच के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की शीघ्र पहचान एवं नैदानिक प्रबंधन किया जाता है।
- विस्तारित ई-पीएमएसएमए के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की प्रसव के 45 दिनों बाद तक नाम-आधारित निगरानी की जाती है, ताकि माता एवं नवजात दोनों का स्वस्थ परिणाम सुनिश्चित किया जा सके।
- सभी उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए चिकित्सा अधिकारियों/प्रसूति विशेषज्ञों द्वारा मातृ एवं भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी हेतु तीन अतिरिक्त प्रसवपूर्व जांच की व्यवस्था की गई है।
- उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के पंजीकरण, निर्धारित जांच के अनुस्मरण तथा अनुवर्ती जांच के लिए लाभार्थियों एवं आशा कार्यकर्ताओं को स्वचालित एसएमएस संदेश भेजे जाते हैं।
- सुरक्षित प्रसव तथा जटिलताओं के समय पर प्रबंधन के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को निकटतम प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) से जोड़ा जाता है।
- अनुवर्ती प्रसवपूर्व जांच हेतु आने के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परिवहन के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) अभियान के अंतर्गत निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा स्वैच्छिक चिकित्सकों को गर्भवती महिलाओं के लिए अपनी सेवाएं देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- पीएमएसएमए के अंतर्गत स्वैच्छिक योगदान देने वाले निजी चिकित्सकों को सम्मानित करने के लिए 'आई प्लॉज फॉर 9' उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- निजी चिकित्सकों के पंजीकरण हेतु केंद्रीकृत पीएमएसएमए पोर्टल विकसित किया गया है।
- एफओजीएसआई (फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया) तथा आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) जैसे पेशेवर संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

(ङ) सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के समयबद्ध अनुवर्ती परीक्षण एवं प्रसवपूर्व देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (ई-पीएमएसएमए) के अंतर्गत प्रत्येक माह की निर्धारित 9 तारीख के अतिरिक्त भी पीएमएसएमए सत्र आयोजित किए जाते हैं।

- केंद्रीकृत पीएमएसएमए पोर्टल के माध्यम से चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के नाम-आधारित सूचीकरण, ट्रैकिंग एवं निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है।
- उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की शीघ्र पहचान, जोखिम वर्गीकरण, समय पर रेफरल तथा उचित प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण किया जा रहा है।
- प्रसूति संबंधी जटिलताओं के समय पर प्रबंधन तथा प्रतिकूल मातृ एवं नवजात परिणामों की रोकथाम हेतु उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की शीघ्र पहचान एवं रेफरल तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।
- उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जांच हेतु प्रेरित करने तथा उनके अनुवर्ती परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रकरण-आधारित प्रोत्साहन तथा लाभार्थियों को निर्धारित प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) जांच हेतु आने के लिए परिवहन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- सेवा प्रदायगी एवं कवरेज में सुधार के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जाती है।
- नियमित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियों के माध्यम से जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है।

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2179 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

पीएमएसएमए की शुरुआत से अब तक, पीएमएसएमए के अंतर्गत प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं तथा चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमएसएमए के अंतर्गत प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या**	**चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की कुल संख्या**
	भारत	**7,91,68,912**	**1,24,05,174**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29,208	4,885
2	आंध्र प्रदेश	64,23,068	14,27,713
3	अरुणाचल प्रदेश	33,884	1,966
4	असम	9,74,293	1,32,614
5	बिहार	81,46,004	3,91,028
6	चंडीगढ़	1,03,352	28,803
7	छत्तीसगढ़	25,43,159	3,48,469
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,24,426	13,267
9	दिल्ली	7,06,873	1,17,428
10	गोवा	1,00,291	12,308
11	गुजरात	37,54,360	5,44,778
12	हरियाणा	30,46,173	5,75,459
13	हिमाचल प्रदेश	5,77,036	77,045
14	जम्मू और कश्मीर	5,81,140	61,640
15	झारखंड	18,84,336	77,849
16	कर्नाटक	35,13,527	12,28,200
17	केरल	49,435	6,806
18	लद्दाख	20,835	2,577
19	लक्षद्वीप	8,354	3,114
20	मध्य प्रदेश	63,18,495	9,86,332
21	महाराष्ट्र	43,46,267	5,28,494

22	मणिपुर	1,00,072	7,902
23	मेघालय	3,47,867	82,665
24	मिजोरम	82,237	6,375
25	नागालैंड	25,594	2,897
26	ओडिशा	27,84,723	5,24,893
27	पुडुचेरी	42,848	9,211
28	पंजाब	13,13,032	2,92,146
29	राजस्थान	58,97,428	3,69,111
30	सिक्किम	13,767	1,868
31	तमिलनाडु	34,40,002	11,94,104
32	तेलंगाना	23,33,882	4,57,346
33	त्रिपुरा	1,68,387	19,381
34	उत्तर प्रदेश	1,69,29,896	18,98,267
35	उत्तराखंड	2,24,206	21,589
36	पश्चिम बंगाल	21,80,456	9,46,644

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2179 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

पीएमएसएमए के प्रारंभ से अब तक कर्नाटक में प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं तथा चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का जिला-वार विवरण (स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल)

क्र.सं.	**जिला**	**पीएमएसएमए के अंतर्गत प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या**	**चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की कुल संख्या**
1	बागलकोट	52,511	22,718
2	बल्लारी	1,32,430	49,564
3	बेलगावी	3,59,159	1,92,339
4	बेंगलुरु ग्रामीण	27,980	11,259
5	बेंगलुरु शहरी	1,81,870	77,791
6	बीदर	92,553	20,138
7	चामराजनगर	22,775	5,878
8	चिक्कबल्लापुर	76,282	47,664
9	चिक्कमगलूरु	99,836	36,791
10	चित्रदुर्ग	1,44,983	44,857
11	दक्षिण कन्नड़	83,309	21,068
12	दावणगेरे	1,74,442	31,178
13	धारवाड़	1,76,799	1,18,892
14	गडग	1,09,808	52,317
15	हासन	1,50,399	21,404
16	हावेरी	29,907	13,303
17	कलबुर्गी	1,31,082	31,915
18	कोडगु	37,497	10,062
19	कोलार	79,665	49,646
20	कोप्पल	1,23,592	35,780

21	मांड्या	1,24,041	29,368
22	मैसूरु	2,34,163	43,768
23	रायचूर	1,11,449	26,630
24	रामनगर	1,87,965	54,697
25	शिवमोग्गा	58,763	21,112
26	तुमकुरु	1,43,154	39,135
27	उडुपी	63,559	20,901
28	उत्तर कन्नड़	1,14,779	41,274
29	विजयनगर	37,334	16,490
30	विजयपुर	1,15,611	25,442
31	यादगिर	35,918	14,878
